

एक्सिस रॉयल रियल एस्टेट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राजेश जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन पंजीकृत कार्यालय- 2339, रामलाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि की 90ए आदेश क्रमांक LU2012/JDA/2019-20/1000184 दिनांक 24.10.2019 को मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3-बी आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए की गयी थी। आवेदक द्वारा उक्त भूमि की 90ए मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3-बी से सामान्य आवासीय योजना प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट. में)
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	विमलपुरा	402	0.25
		403 / 1	1.98
		404	0.79
		कुल किता 3	कुल रकबा 3.02 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन एवं सामान्य आवासीय योजना में परिवर्तन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 01-6-23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
- एक्सिस रॉयल रियल एस्टेट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राजेश जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन पंजीकृत कार्यालय- 2339, रामलाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान।
- रक्षित पत्रावली।

उपर्युक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम रामपुराबास गोनेर, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


जयपुर विकास प्राधिकरण-14
जयपुर, जयपुर, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1220

दिनांक: 01-6-23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102598

दिनांक: 01/06/2023

लोक सूचना

श्री JANGAL RAM MEENA पुत्र श्री CHANDA RAM MEENA जाति MEENA निवासी MALIYO KA MOHALLA GONER JAIPUR

श्री RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI पुत्र श्री GANESH RAM SAINI जाति MALI निवासी 709, OKAY PLUS TOWER, SECTOR 7 MANSAROWAR, JAIPUR

श्री SHAITAN SINGH MEENA पुत्र श्री KHEMRAJ MEENA जाति MEENA निवासी MONU GENERAL STORE, JYOTI NAGAR, UNCHA, BHILWARA

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	212	1000	0.1
2.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	219	2200	0.22
3.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	222	2000	0.2
4.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	233	1600	0.16
5.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	234	5200	0.52
6.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	236	1500	0.15
7.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	239	1700	0.17
8.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	249/1	1900	0.19
9.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS	251/1	1800	0.18


प्रवायुक्त जोन-14
जयपुर, जयपुर


		PRIVATE LIMITED			
10.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	252/1	1700	0.17
11.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	673/235	775	0.0775
12.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	674/235	1893	0.1893
13.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	675/235	358	0.0358
14.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	676/235	1893	0.1893
15.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	678/240	230	0.023
16.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	680/241	631	0.0631
17.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	688/224	276	0.0276
18.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	694/223	1408	0.1408
19.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	695/223	100	0.01
20.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	696/213	1671	0.1671
21.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	700/216	347	0.0347
22.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	701/216	853	0.0853
23.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	702/218	1087	0.1087
24.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	729/281	1650	0.165

25.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	731/282	2800	0.28
26.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	283	600	0.06
27.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	733/284	8228	0.8228
28.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	735/285	300	0.03
29.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	286	2000	0.2
30.	रामपुरा बास गोनेर, चाकसू (जयपुर)	JANGAL RAM MEENA S/O CHANDA RAM MEENA, SHAITAN SINGH MEENA S/O KHEMRAJ MEENA	287	2300	0.23
कुल					5

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **01-06-2023** को जारी की गयी।


प्रो. वि. क. जैन-14
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102605


दिनांक: 01/06/2023

लोक सूचना

श्री ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP पुत्र श्री RAM CHANDAR YADAV जाति AHIR निवासी
2C, SWAROOP COLONEY DCM, AJMER ROAD, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	129	3700	0.37
2.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	3377/137	300	0.03
3.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	CHANDA LAL, BABU LAL, SITA RAM SON OF GOGA RAM THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	145	700	0.07
4.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	KANARAM, GOPAL LAL, LADU RAM, HANUMAN SAHAI SON OF SHARAVAN LAL THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	3096/145	1500	0.15
5.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	KANARAM, GOPAL LAL, LADU RAM, HANUMAN SAHAI SON OF SHARAVAN LAL THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	146	2800	0.28
6.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	147	2100	0.21
7.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP, ARPIT SINGHAL SON OF ASHOK SINGHAL, SMT. KHUSHBOO	162	3800	0.38



प्रवीण कुमार
जयपुर जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

		SINGHAL W/O ARPIT SINGHAL THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP			
8.	भांकरोटा कला, सांगानेर (जयपुर)	ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP	163	3500	0.35
				कुल	1.84

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **01-06-2023** को जारी की गयी।


राजेश कुमार
 प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर